न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 198/2013

प्रार्थी :—

1. मृतक खींवाराम पुत्र उम्मेदराम के का0मु0—
   1/1 केलीदेवी पत्नी खीवाराम
   1/2 बादरराम पुत्र खीवाराम
   1/3 शंकरलाल पुत्र खीवाराम
   1/4 अमानाराम पुत्र खीवाराम
   1/5 गोकलराम पुत्र खीवाराम जातिगण देवासी निवासीगण बड़ा गुड़ा तह0 सोजत जिला पाली राज
   1/6 कमला पुत्री खीवाराम पत्नी रतनाराम जाति देवासी निवासी बड़ा गुड़ा हाल निवासी मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राजस्थान।
2. पोकरराम पुत्र उम्मेदराम
3. छोगाराम पुत्र उम्मेदराम
4. कालूराम पुत्र लच्छाराम
5. भंवरलाल पुत्र लच्छाराम जातिगण राईका निवासीगण बड़ागुड़ा तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. लादूराम पुत्र उम्मेदराम जाति राईका निवासी बड़ागुड़ा तह0 सोजत पाली
2. राज
   रविन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ारामसिंह तह0
3. सोजत जिला पाली राजस्थान।
   देवीसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ाचुतरा तह0 सोजत जिला
4. पाली राजस्थान।
   विजयसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति
5. राजपूत निवासी सारंगवास तह0 सोजत पाली।
   तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री जीवराज सिंह लखावत अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 14/05/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गुड़ा कलां में प्रार्थीगण के पिता उम्मेदराम एवं प्रार्थी खींवाराम एव लच्छाराम की कब्जा की कृषि भूमि खसरा नंबर 290 रकबा 1.08 है0 आयी हुई स्थित हैं। खसरा नंबर 290 के पुराने खसरा नंबर 156 रकबा 10 बीघा था। उक्त भूमि पुराने राजस्व रेकर्ड खसरा परिवर्तनशील में प्रार्थीगण के पिता उम्मेदराम के नाम दर्ज थी। प्रार्थीगण के पिता के देहान्त होने के पश्चात् खसरा नंबर 290 रकबा 1.08 है0 पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। उक्त भूमि अविभाजित सामलाती एवं एक ही चक में आयी हुई हैं। खसरा नंबर 290 में प्रार्थी कालूराम का पक्का मकान एवं अन्य प्रार्थीगण के बाड़े बने हुए हैं। प्रार्थीगण पशुपालक हैं। उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता उम्मेदराम एवं देवताओं का चबुतरा है जिस पर मूर्तिया स्थापित हैं। अप्रार्थी लादूराम की इस कृषि भूमि पर कब्जा नहीं रहा हैं। लादूराम

उप खण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

की पैतृक भूमि खसरा नंबर 293 से 298 व 284 की भूमि पर भी कोई कब्जा काश्त नहीं हैं। पैतृक भूमि पर आपसी सहमति से बहुत पहले बंटवाड़ा कर दिया गया था तथा कृषि भूमि प्रार्थीगण के हिस्से में ही रही थी तथा अप्रार्थी लादूराम ने इस भूमि में एवज में सोने–चांदी जेवरात एवं रूपये प्राप्त कर लिये थे। इसलिए लादूराम का उक्त भूमि पर कोई भी हिस्सा नहीं रहा हैं। लादूराम द्वारा उक्त भूमि में से 0.54 है0 भूमि अपने नाम आवंटन/नियमन करवा लिया जिसके नये खसरा नंबर 290/1 दर्ज हुए। अप्रार्थी लादूराम एवं उसका पुत्र कुकाराम बदमाश, झगड़ालू एवं खुंखार प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं। जिसके विरूद्ध एडीजे कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन हैं। राजस्व न्यायालय में भी खसरा नंबर 293 एवं 298 व 284 की कृषि भूमि से संबंधी एक वाद विचाराधीन हैं। अप्रार्थी सं0 2 रवीन्द्रसिंह ने कुकाराम का बहला पुसला कर मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने पर भी दिनांक 19.08.2013 को अपने नाम बेचान रजिस्ट्री करवा दी एवं दिनांक 01.10.2013 को नाजायज तरीके से वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की। अप्रार्थीगण सं0 2, 3 व 4 मौके पर लाठी लकड़ी के बल पर प्रार्थीगण के शांतिप्रिय कब्जे में उन्हे बेदखल कर नाजायज कब्जा करने की कोशिश में हैं तथा इसी नियत से झगड़ा व मारपीट भी कर रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा ग्राम गुड़ा कलां के वर्तमान खसरा नंबर 290/1 रकबा 0.54 है0 में प्रार्थीगण कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी नहीं करने एवं उक्त भूमि का आगे से आगे बेचान, रहन एवं अन्य हस्तान्तरण करने से अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं। दिनांक 06.09.2023 को अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध कार्यवाही अबेट की गई। अप्रार्थी 2, 3 व 4 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना गलत, झूठे एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। खसरा नंबर 290 का रकबा 0.54 है0 ही है जो करीब साढे तीन बीघा है, शेष भूमि का प्रार्थीगण ने वाद में उल्लेख नहीं किया है। पुराने खसरा नंबर 156 का एक ओर नया नंबर खसरा नंबर 290/1 रकबा 0.56 है0 बना है, जो प्रार्थी के नाम से जिस पर प्रार्थीगण का कतई कब्जा नहीं रहा हैं। अप्रार्थी सं0 1 की कब्जा सुदा खातेदारी की उक्त भूमि को अप्रार्थी सं0 2 से 4 ने जरिये बेचान रजिस्ट्री क्रय किया हैं। दिनांक 01.10.2013 को प्रार्थीगण अतिक्रमण करने की नियत से 20–25 लोगों के साथ अप्रार्थीगण सं0 3 से 4 के साथ मारपीट की, जिसका प्रकरण बगड़ी थाना में दर्ज करवाया एवं श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट सोजत के समक्ष चालान पेश किया। अप्रार्थी सं0 02 से 04 रेकर्डेड खातेदार हैं। इस प्रकार जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर बाले–बाले खसर नंबर 290 में से 0.54 है0 कृषि भूमि आवंटन/नियमन करवा दी है, जबकि अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल करने व लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा है। मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जावे। जबाव बहस में अधिवक्ता 2 से 4 ने व्यक्त किया कि प्रार्थीगण बिल्कुल ही झूठा एवं वास्तिविकता से परे उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। अप्रार्थी सं0 1 को नियमानुसार भूमि आवंटन हुई हैं। जिसका वे बिना किसी बाधा के उपयोग, उपभोग व कृषि कार्य कर रहे है। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना, जबाव प्रार्थना, फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया। वस्तुतः खसरा नंबर 290 रकबा 0.54 है0 भूमि पोकरराम पुत्र उम्मेदराम कौम राईका को आवंटन होना स्पष्ट होता हैं एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में पोकरराम पुत्र उम्मेदराम दर्ज हैं। प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार नहीं है जिससे हस्तगत प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

—:: आदेश ::—

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 14/05/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned with CamScanner